कार्यालय चुनाव अधिकारी, एस.बी.पी. राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर (राज.)

छात्रसंघ संविधान (सत्र 2018–19)

1. **नाम :–** छात्रसंघ चुनाव एस.बी.पी. राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर (राज.) छात्रसंघ
2. **उद्देश्य :–**
   - छात्रों को संसदीय लोकतंत्र एवं स्वशासन का कार्यानात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना।
   - महाविद्यालय को शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कीड़ात्मक गतिविधियों के संचालन में छात्रों को सहभागी बनाना।
   - छात्र सामुदाय में नागरिक दायित्व बोध एवं नेतृत्व के गुणों का विकास करना।
   - महाविद्यालय में गरिमापूर्ण, अनुशासनात्मक एवं सोहार्द पूर्ण वातावरण का विकास करना।
   - महाविद्यालय के सर्वागीण विकास में छात्रों को सहभागी बनाना।
3. **छात्रसंघ का स्वरूप**

(A) पदाधिकारी :–

अ. छात्रसंघ कार्यकारिणी के अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होंगे। इन पदाधिकारियों का निर्वाचन महाविद्यालय के समस्त पूर्णकालिन पाठ्यक्रम के नियमित छात्रों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा साधारण बहुमत से किया जाएगा। किन्ही दो प्रत्याशियों को किसी एक पद हेतु समान मत प्राप्त होने पर पर्ची द्वारा निर्णय लिया जाएगा

(B) कक्षा प्रतिनिधि :–

अ. प्रत्येक कक्षा/प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक वर्ग (सेक्शन) में प्रवेशित छात्रों में से कक्षा प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनाव किया जायेगा।

ब. प्रत्येक 40 छात्रों पर एक कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव किया जायेगा। प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम एक एवं अधिकतम दो कक्षा प्रतिनिधि होंगे।

4. **उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदण्ड**

(i) स्नातक कर रहे 17 से 22 वर्ष के मध्य की आयु के छात्र चुनाव लड़ सकते है एवं स्नाकोत्तर कर हे 17 से 25 वर्ष के मध्य की आयु के छात्र–छात्रा चुनाव लड़ सकते है। न्यूनतम एवं अधीकतम आयु सीमा का निर्धारण नामांकन प्रस्तुत करने की तारीख को आधार मानकर किया जायेगा । जो निम्नवत है।

अ.स्नातक कर रहे : 17 से 22 वर्ष के मध्य की आयु के छात्र–छात्रा चुनाव लड़ सकते है (जिनका जन्म **25.08.1996 से 24.08.2001** की अवधि में हुआ हो, दोनो तारीखों को सम्मिलित करते हुए)

ब.स्नाकोत्तर कर रहे :– 17 से 25 वर्ष के मध्य की आयु के विद्यार्थी चुनाव लड़ सकते हैं (जिनका जन्म **25.08.1993 से 24.08.2001** की अवधि में हुआ हो, दोनो तारीखों को सम्मिलित करते हुए)

(ii) छात्रसंघ चुनाव हेतु उम्मीदवार के खाते में किसी भी परिस्थिति में कोई शैक्षणिक बकाया(Academic arrears) चुनाव लड़ने के वर्ष में नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रायोगिक, अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय में से कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए।

(iii) उम्मीदवार द्वारा उपस्थिति का वह न्यूनतम प्रतिशत जो **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाये या 75 प्रतिशत उपस्थिति इन दोनो में से जो भी उच्चतम हो हासिल किया जाना आवश्यक है।**

(iv) लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार कोई भी विद्यार्थी छात्रसंघ पदाधिकारी के पद पर केवल एक बार चुनाव लड़ सकता है लेकिन कार्यकारिणी सदस्य (कक्षा प्रतिनिधि) का केवल दो बार लड़ सकता है।

(v) उम्मीदवार का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए अर्थात वह कभी भी किसी आपराधिक कृत्य या दुराचरण के लिए विचारित (tried) और/या दोष सिद्ध नहीं किया गया हो। यह भी कि उम्मीदवार को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं बनाया गया हो।

(vi) उम्मीदवार अपने महाविद्यालय का नियमित व पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए और एकदूरस्थ/आसन्न शिक्षा का छात्र नहीं होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सभी पात्र उम्मीदवार एक पूर्णकालिक कोर्स में नामांकित हो जिसकी समयावधि न्यूनतम एक साल हों।

(vi) अध्यक्ष एवं महासचिव पद के लिये वहीं छात्र चुनाव लडनें के योग्य होगा जो महाविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष अथवा उपरी कक्षाओं में निरन्तर अध्ययनरत हो । जबकि उपाध्यक्ष एवं सयुक्त सचिव पद के लिये स्नातक द्वितीय वर्ष अथवा उपरी कक्षाओं में निरन्तर अध्ययनरत विद्यार्थी चुनाव लडनें के योग्य होगें।

5. चुनाव संबंधी व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही :–

(i) प्रति उम्मीदवार अधिकतम 5000 रू. के व्यय की अनुमति है।

(ii) चुनाव परिणाम के घोषित होने के 2 सप्ताह के अन्दर हर उम्मीवार महाविद्यालय प्रशासन को पूर्ण एवं अंकेक्षित लेखे सुपुर्द करेगा। महाविद्यालय ऐसे अंकेक्षित लेखों को उचित माध्यम के द्वारा प्राप्त होने के दिो दिवस के अन्दर प्रकाशित करायेगा जिससे कि छात्र निकाय का कोई भी सदस्य उनका स्वतंत्र परीक्षण कर सकें।

(iii) किसी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जायेगा।

(iv) छात्र चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से रूपयों की आवक को रोकने हेतु उम्मीदवारों पर छात्र निकाय द्वारा स्वैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्रोत से कोई धनराशि लेना विशेष रूप से प्रतिबंधित है।

6. छात्रसंघ का कार्यकाल : शैक्षणिक सत्र के अन्तिम कार्य दिवस को छात्रसंघ का कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

7. चुनाव कार्य, चुनाव प्रक्रिया एवं चुनाव नियम : प्राचार्य या उनके द्वारा मनोनीत चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव कार्यो, चुनाव प्रक्रिया एवं चुनाव नियम जो निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर से प्राप्त हुए है, के अनुसार सम्पन्न करवाया जायेगा।

8. छात्रसंघ संविधान में संशोधन : इस संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तत करने का सर्वाधिकार प्राचार्य के पास आरक्षित रहेगा।

9. आचार संहिता : छात्रसंघ चुनाव 2013 लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप एवं दिशा निर्देशों के अधीन सम्पन्न होंगे।

उम्मीदवारों व चुनाव प्रशासकों हेतु आचार संहिता

(i) कोई भी उम्मीवार ऐसी किसी प्रक्रिया /गतिविधि में लिप्त नहीं हेागा, ना ही ऐसी किसी क्रिया /गतिविधि का उत्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मदभदों का बढावा देवें या आपसी वैमन्स्य या विभिन्न जातियो, साम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करें।

(ii) दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी त वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों,उनके पूर्व रिकार्ड व कार्यो तक समिति होगी। उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों की आलोचना से बचेगें जो अन्य उम्मीदवारों की सामाजिक गतिविधियों या उनके समर्थक से संबंधित नहीं हो असत्यापित आरापों व विद्रुपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थको आलोचना से बचा जाएगा।

(iii) मत प्राप्ति हेतु जातीय अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जाएगी। पूजास्थल चाहे वे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हो चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल नहीं किये जायेगे।

(iv) सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों /कार्यो में लिप्त होने या उनके उत्पीडन करने से प्रतिबंधित किया जायेगा जो कि भ्रष्ट आचरण एवं अपराध माने जाते है जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना–धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधी में प्रचार या use of propaganda चुनाव के आखरी घण्टे से 24 घण्टे पूर्व समय में जनसभा आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रो पर लाना और वापिस छोडना।

(v) किसी भी उम्मीदवार को छपे हुए पोस्टर्स, या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार प्रचार के वास्ते केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग, कर सकेंगे जबकि जब ऐसे हस्तनिर्मित पोस्टर्स उपरोक्त लिखित व्यय सीमा के अन्तर्गत बनाये गये है।

(vi) उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग परिसर में कुछ जगहों पर कर सकेंगे जो कि पूर्व में ही विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचित किये जायेगे।

(vii) किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय /महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलिया, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।

(viii) कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी भी उद्देश्य हेत विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पति को महाविद्यालय /विश्वविद्यालय प्रशासन कीलिखित पूर्वानुमति के अभाव में खण्डित अथवा नष्ट नही करेगे। विश्वविद्यालय /महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पति के खण्डित अथवा नष्ट करने पर सभी उम्मीदवार संयुक्त रूप से एवं बारंबार ऐसा विध्वंस अथवा खण्डन करने के दोषी होगें।

(ix) चुनाव के दौरान विश्वविद्यालय /महाविद्यालय /संस्था परिसर में उम्मीदवार रैलियां निकाल सकते है, और जनसभा कर सकते है यदि ऐसी रैलियां या जनसभा किसी भी प्रकार से महाविद्यालय /विश्वविद्यालय में चलने वाली कक्षाओं तथा दूसरी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न न करें, साथ ही यह भी कि ऐसी रैली अथवा जनसभा को बिना महाविद्यालय /विश्वविद्यालय प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

(x) प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।

(xi) मतदान के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवार :–

अ. उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित अफसरों से सहयोग करेगें। इस वास्ते कि शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित हो सके और मतदाताओं को अपना मताधिकार करने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता, होगी, बिना किसी नाराजगी या व्यवधान के,

ब. मतदान दिवस का किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या दूसरी ठोस अथवा तरल भोज्य सामग्री वितरित नहीं करेगें, पानी को छोड़कर,

स. मतदान दिवस को किसी प्रकार का प्रचार /प्रसार सामग्री नहीं बाटेंगे।

(xii) मतदाताओं के अलावा अन्य कोई भी बिना किसी वैध पास या चुनाव आयोग के अधिकार पत्र या महाविद्यालय /विश्वविद्यालय के अधिकार पत्र मतदान केन्द्रों मे प्रवेश नहीं करेगा।

(xiii) महाविद्यालय /विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निश्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायेगे। डीम्ड विश्वविद्यालय व स्ववित्तपोषित संस्थाओं के प्रसंग में सरकारी कर्मचारी भी पर्यवेक्षक नियुक्त किये जा सकते है । यदि उम्मीदवारों को चुनावों के संचालन से संबंधित कोई विशेष शिकायत अथवा समस्या हो तो वे उस समस्या को पर्यवेक्षक के ध्यान में लायेगे।

(xiv) मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के भीतर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करना सभी उम्मीदवारों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।

(xv) उपरोक्त सिफारिशो मे से किसी का भी उल्लघंन करने पर उम्मीदवार उसकी उम्मीदवारिता खो सकेगा या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा। जैसा कि प्रसंगवश हो । ऐसे उल्लघंनकर्ता के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय /महाविद्यालय द्वारा भी की जा सकेगी।

(xvi) उपरोक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (Sec. 153 A and chapter IX A)– चुनावों से संबंधित अपराध) भी छात्रसंघ चुनावों पर लागू किये जा सकेंगे।

10. **विशेष :** प्राचार्य द्वारा छात्रसंघ चुनाव के संदर्भ में निर्धारित तिथि (जो कि 22.08.2018 है) तक प्रवेश प्राप्त छात्र ही मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा एवं प्रत्याशी बनने का अधिकार रख सकेगा।

11. चुनाव सम्पन्न होने के दो महिने के अन्दर किसी बड़े पदाधिकारी का कार्यालय पद रिक्त हो जाता है तो पूनः चुनाव कराये जा सकते है या उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया जाकर इसी प्रकार संयुक्त सचिव का सचिव पद पर पदोन्नती प्रकरणानुसार दी जा सकती है। दोनों विकल्पो मे कौनसे विकल्प का चयन करना होगा इसका अधिकार प्राचार्य के पास छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सुरिक्षत रहेगा।

इस संदर्भ मे समय–समय पर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का यथोचित समावेश छात्रसंघ चुनाव के संविधान में किया जायेगा।

12. कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता छात्रसंघ अध्यक्ष करेगा, प्राचार्य द्वारा मनोनीत शिक्षक परामर्शदाता प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहेगा।

13. छात्रसंघ निर्वाचन एवं चुनाव नियमों से संबंधित शिकायत निवारण हेतु महाविद्यालय मे शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठीत किया गया है। अतः उम्मीदवार अपनी शिकायत लिखित में इस प्रकोष्ठ में दे सकता है। शिकायत व इसके निराकरण हेतु अनुसूची 1 को देखे।

14. छात्रसंघ निर्वाचन एवं चुनाव नियमों की व्याख्या से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णयाधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा एवं उसका निर्णय अंतिम रहेगा।

15. राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में प्रोविजनल एडमिशन दिये गये विद्यार्थियों को छात्रसंघ चुनाव 2013 की मतदाता सूची मे शामिल नहीं किया जायेगा।

16. छात्रसंघ चुनावों एवं छात्र प्रतिनिधित्व का राजनीतिक दलों से विलगाव :
चुनाव के दौरान ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि महाविद्यालय /विश्वविद्यालय का सूचीबद्ध नियमित छात्र नहीं है, चुनाव प्रक्रिया मे किसी भी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार या छात्रसंघ का सदस्य जो इस नियम का उल्लघंन करेगा, वह अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का भागी होगा। इसके साथ ही उसकी उम्मीदवारी जैसा भी प्रकरण हो, रद्द की जायेगी।

दिनांक :– 23.08.2018 प्राचार्य